पत्रांक–2ब०/बजट–14–15/17 170 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 30/03/18

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उपयोग हेतु कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए कुल ₹22.563 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उपयोग हेतु कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए कुल ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध सहायक निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग के गैर सरकारी प्रेषण सं०–144, दिनांक–28.03.2018 द्वारा किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के कार्यालय के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु कुल ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र राज्य स्कीम अन्तर्गत निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनीकीकरण मद से स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. स्वीकृत राशि के **निकासी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा** तथा भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के पी०एल० खाता संख्या– 314 सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी।

5. राशि की निकासी वी०टी०सी० फॉर्म– 46 पर की जाएगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। विपत्र के साथ भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के

पी०एल० खाता संख्या– 314 की प्रति संलग्न किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना उक्त राशि को भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के पी०एल० खाता संख्या– 314 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जाएगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष –05– अन्य शहरी विकास परियोजानाएं– लघुशीर्ष –001– निदेशन और प्रशासन– उपशीर्ष – 0104– निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनीकीकरण हेतु, विपत्र कोड– **48-2217050010104**, विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जायेगी।

7. ***क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।***

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त कार्यो का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट–14–15/17 के पृष्ठ सं०–...43.../टि० पर दिनांक–30.03.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.54..../टि० पर दिनांक–30.03.2018 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना वित्त (बजट शाखा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–15/17 170 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक– 30/03/18

प्रतिलिपिः–वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहर राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–15/17 171 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक–30/-3/18

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उपयोग हेतु कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए कुल ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र का आवंटन।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उपयोग हेतु कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए कुल ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध सहायक निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग के गैर सरकारी प्रेषण सं०–144, दिनांक–28.03.2018 द्वारा किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में नवगठित भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के कार्यालय के आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु विभागीय राज्यादेश सं०–170 दिनांक–30/3/18 के आलोक कुल ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र राज्य स्कीम अन्तर्गत निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनीकीकरण मद से आवंटित की जाती है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र।

2. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. आवंटित राशि के **निकासी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाएगा** तथा भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के पी०एल० खाता संख्या– 314 सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी।

5. राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म– 46 पर की जाएगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। विपत्र के साथ भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के पी०एल० खाता संख्या– 314 की प्रति संलग्न किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना उक्त राशि को भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना के पी०एल० खाता संख्या– 314

में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जाएगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

6. उक्त आवंटित राशि ₹22.663 (बाईस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष –05– अन्य शहरी विकास परियोजानाएं– लघुशीर्ष –001– निदेशन और प्रशासन– उपशीर्ष – 0104– निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनीकीकरण हेतु, विपत्र कोड– **48-2217050010104**, विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. *क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।*

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–15/17 171 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–30.3.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहर राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/सहायक निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

30.3.18

सरकार के विशेष सचिव।